15-7-17 पत्रावली राजस्व .लोक अदालत अभियान–फालोआप केम्प मे अटल सेवा केन्द्र सड़ा में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की तरफ से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थीगण एकरतफा। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि आवेदन में निम्नांकित रकबे का मौके पर आमजन द्वारा आने जाने हेतु रास्ते में उपयोग लिया जा रहा है। जबकि राजस्व रिकोर्ड में भूमि राजस्थान सरकार के खातें मे दर्ज है। कि उक्त आवेदन मे उल्लेखित रकबे को गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थी को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि आवेदन में उल्लेखित रकबा सम्भावित खनिज क्षेत्र हेतु आरक्षित के खाते मे दर्ज है। जबकि प्रस्तावित रकबे का गैर मुमकिन रास्ते में उपयोग हो रहा है। और विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामील के हाजिर नही हुए है। इससे प्रतीत होता है,कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किये जाने मे उनकी मौन स्वीकृति है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनवाया गया और शामिल पत्रावली किया गया।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

15/7/17
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
–न्याय आपक द्वार 2017
रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ)सिणधरी

(पीठीसीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प–अटल सेवा केन्द्र सड़ा

क्रमांकः/राजस्व/2017/573 दिनांकः–15.7.17
मु.सं.:–79/17

–::आदेश::–

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि **राजस्व ग्राम एड अमरसिह पटवार मण्डल एड सिणधरी** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार निम्नांकित भूमि सम्भावित खनिज क्षेत्र हेतु आरक्षित/ग्राम पंचायत एड सिणधरी दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम **एड अमरसिह पटवार मण्डल एड सिणधरी** तहसील सिणधरी की निम्नांकित सम्भावित खनिज क्षेत्र हेतु आरक्षित/ग्राम पंचायत एड सिणधरी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि		लम्बाई व चौडाई गट्टों में	
					रकबा	किस्म	लम्बाई	चौड़ाई
1	सम्भावित खनिज क्षेत्र हेतु आरक्षित	192	204-12	गै.मु. खड़ा	12-13	गे.मु. रास्ता	844	6
2	ग्राम पंचायत एड सिणधरी	192/5	5-00	गै.मु. आबादी	1-03	गे.मु. रास्ता	76	6

(नाथुसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

क्रमांकः/राजस्व/2017/ दिनांक 15.7.2017
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner